

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

-:कार्यालय आदेश:-

क्रमांक :- ५६


दिनांक :- 28.4.2020

माननीय शेट्टी आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक :F12(5)FD/Rules/2005 दिनांक 02.09.16 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.10.16 एवं राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग, जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक : एफ.3 (33) डीओपी/ए-11/85 दिनांक 19.07.17 के अनुसरण में, इस न्यायक्षेत्र में रीडर-111/शरिस्तेदार-111/लिपिक ग्रेड-1 के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित पदोन्नति समिति की अनुशंसा रिपोर्ट पत्र क्रमांक 111 दिनांक 01.04.2020 को अनुमोदित करते हुए निम्न कर्मचारीगण को रीडर-111/शरिस्तेदार-111/ लिपिक ग्रेड-1 के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में नियमानुसार अनुमत वेतन पे-मैट्रिक्स में लेवल-L-8 में एतद्वारा निम्न शर्तों पर पदोन्नत किया जाता है :-

क. सं.	पदोन्नति पद का नाम	कर्मचारीगण का नाम मय पद	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.
1.	रीडर-111/शरिस्तेदार-111/लिपिक ग्रेड-1	1. श्री अचलसिंह	सामान्य संवर्ग से
2.		2. श्री अशोक कुमार बिस्सा	सामान्य संवर्ग से
3.		3. श्री सिकन्दरसिंह चौहान	अनु0 जाति संवर्ग से
4.		4. श्री रामेश्वर मीना	अनु0 जनजाति संवर्ग से
5.		5. श्रीमती रतन कंवर	सामान्य संवर्ग से
6.		6. श्री सिकन्दर खान	सामान्य संवर्ग से

नोट :-

1. पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति के वेतनमान का लाभ नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
2. इनका पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

क्रमांक : स्था./2020/ 902 - 916

दिनांक : 28.4.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त है:-

1. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0, पोकरण।
2. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-111, न्यायालय हाजा (दो प्रति)
3. श्री अचलसिंह/ श्री अशोक कुमार बिस्सा /श्री सिकंदर सिंह चौहान/श्री रामेश्वर मीना / श्रीमती रतन कंवर/ श्री सिकंदर खान
4. निजी पत्रावली
5. सिस्टम ओफिसर, कार्यालय हाजा।
6. कार्यालय प्रति।


28.4.2020

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।